<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्याः निग/टीए/6490/2012/टोंक</u>

छगनलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील देवली जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1 चतरा पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी विजयगढ
2 भवंरलाल पुत्र श्रीलाल
3 बाबूलाल पुत्र श्रीलाल
4 बदाम पुत्री श्रीलाल
5 मनभर पुत्री श्रीलाल
6 भैरूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
7 ममला पुत्री लक्ष्मीनारायण
8 लादू पुत्र बजरंगा
9 रतिराम पुत्र बजरंगा
10 रामी पुत्री बजरंगा
11 लादी पुत्री बजरंगा
12 फूला पुत्री बजरंगा
13 जडाव बेवा बजरंगा सभी जाति मीणा निवासी विजयगढ तहसील देवली
14 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवली

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री चैनसिंह पंवार, सदस्य

उपस्थितः श्री गिरीश शर्मा वकील प्रार्थी
श्री मुकेश जैन वकील अप्रार्थी सं.1

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक</u>1.1.2013

यह निगरानी धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, देवली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.7.2012 (प्रकरण संख्या 154/2012) के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अप्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद प्रतिवादीगण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 13 के विरूद्व बाबत विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 132 से 135, 137 से 141, 151 से 154, 305, 309, 347, 348 एवं ₹308 कुल किता 18 रकबा

3.11 हेक्टर वाके विजयगढ बाबत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में से जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं एवं बजरी के ट्रक निकालने पर आमादा है एवं वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 3.5.2012 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी की। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान प्रार्थी बजरी का ठेकेदार है एवं विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 151, 152, 153, 137, 138 में जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है एवं प्रार्थी को इनके उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अतः पुलिस इमदाद से रास्ता बन्द करवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थी ने इसका जबाब प्रस्तुत कर खण्डन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनकर आदेश दिनांक 18.7.2012 से उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर थानाधिकारी, दूनी को रास्ता बन्द कराने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि धारा 212 अधिनियम में प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। ऐसे प्रार्थना पत्र पर पुलिस इमदाद का आदेश नहीं दिया जा सकता। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 3.5.12 एकतरफा में पारित किया गया है जिसमें धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। विवादित भूमि खसरा नम्बर 151, 152, 153, 137, 138 से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। स्वंय अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खसरा नम्बरों के सह खातेदारों की सहमति से बजरी के ठेकेदार को रास्ता दिया है। सभी सह खातेदारों के मध्य आपसी विभाजन किया हुआ है। वादी अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आई भूमि पर वह काबिज है। अन्य सह खातेदारों जिनके हिस्से में विवादित भूमि आई हुई है, से प्रार्थी ने 10 वर्ष की अवधि का अनुबंध कर रखा है जिसकी लिखापढी 100 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 22.2.2011 को की हुई है। वादी का इससे कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश विधिक प्रावधानों के विरूद्व होने से निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 2009 आर.आर.टी. (2) पेज 801, 2003 आर.आर.टी (1) पेज 199 एवं 2009 आर.आर. डी. पेज 333 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि सह खातेदारी की है। वादी

अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि का सह खातेदार है। प्रतिवादी प्रार्थी ने विवादित भूमि में से जबरन रास्ता निकाल कर बजरी परिवहन कर वादी अप्रार्थी संख्या 1 के उपयोग उपभोग में बाधा पहुचाई है एवं न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 3.5.12 का उल्लंघन किया है। ऐसे मामलों में न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु पुलिस इमदाद दी जा सकती है। धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर धारा 212 अधिनियम के प्रकरण में आदेश पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुसार है। विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ है। सह खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग करने से किसी भी सह खातेदार को नहीं रोका जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की पालना भी हो चुकी है जिससे भी यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार होने से निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 2007 आर.बी. जे. पेज 10 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित भूमि सह खातेदारी की होना कथन करते हुए विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में धारा 212 अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.5.12 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। वादी अप्रार्थी संख्या 1 ने धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय के आदेश दिनांक 3.5.12 की पालना सुनिश्चित करने एवं विवादित भूमि में से निकाला जा रहा रास्ता बन्द करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस पर दोनों पक्षो को सुनकर आलौच्य आदेश दिनांक 18.7.12 से पुलिस इमदाद दी जाने का आदेश दिया है। न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की पालना की जाना आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जाने की स्थिति में धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर पुलिस इमदाद का आदेश दिया जाना हम न्यायोचित समझते हैं ताकि विवादित भूमि की मौके की स्थिति परिवर्तित नहीं हो सके एवं अनावश्यक रूप से निकाला जा रहा रास्ता बन्द किया जा सके।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि धारा 212 अधिनियम के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009 आर.आर.टी(2) पेज 801 वर्तमान प्रकरण पर चस्पा

नहीं होती है क्योंकि उक्त दृष्टान्त में वर्णित प्रकरण में मामला धारा 251 अधिनियम से संबंधित था है जिसमें रास्ते में बाधा उत्पन्न करने से रोका गया है। जबकि वर्तमान प्रकरण में कुछ सह खातेदारों द्वारा समझौता नहीं करने के कारण अन्तरिम निषेधाज्ञा से उनकी भूमि पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार 2003 आर.आर.टी(1) पेज 199 के तथ्य भी वर्तमान प्रकण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होती है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया एवं बाद में प्रस्तुत धारा 151 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया गया जबकि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करने हेतु धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियार है। 2009 आर.आर.डी. पेज 333 पुराने रास्ते से संबंधित है एवं वर्तमान प्रकरण से भिन्न तथ्य होने से लागू नहीं होती है।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की आरे से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2007 आर.बी.जे. पेज 210 में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे मामलों में न्यायालय के आदेश की पालना कराने हेतु धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत पुलिस इमदाद दी सकती है। ऐसी स्थिति में हम आलौच्य आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं पाते हैं एवं यह निगरानी खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, देवली का आदेश दिनांक 18.7.2012 यथावत रखा जाता है। साथ ही आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष विचाराधीन संबंधित प्रकरण का दो माह में विधि अनुसार सुनवाई कर निर्णय करें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चैनसिंह पंवार)
सदस्य